नियामक अनुपालन

स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिशानिर्देश

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

नियामक अनुपालन

लेखक: **स्वैच्छिक/वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)**

अगस्त 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित स्वैच्छिक/वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
इस मैन्युअल में प्रकाशित किसी भी सामग्री को प्रकाशक की अनुमति के बिना कहीं भी दोबारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। .

प्रकाशन
स्वैच्छिक/वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
वानी हाउस, 7 पीएसपी पॉकेट
सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली - 110 077
फोन 011-49148610, 40391661, 40391663
ईमेल: info@vaniindia.org वेबसाइट: www.vaniindia.org

@TeamVANI @vani_info

संकल्पना

वानी

आमुख

एक परिवर्तनकारी तथा प्रगति स्तंभ के रूप में, स्वैच्छिक विकास संगठनों ने आम नागरिक चुनौतियों का सामना किया है। भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विकास के मुद्दों को हल करने के लिए कई प्रकार के आकार और प्रकृति में होते हैं और वह लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और भारत सरकार के साथ मिल कर कार्य करते हैं। हालांकि, उनके इतने योगदान के बावजूद उन्हें विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनमें एकरूपता की कमी होती है और यही कारण है कि इन कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को समझने में कठिनाई आती है।

हाल के समय में, स्वैच्छिक विकास क्षेत्र ने नए और मौजूदा कानूनों, उनकी प्रक्रियाओं और उनकी व्यवहार्यता के बारे में गंभीर मुद्दों को उठाया है। समय–समय पर विभिन्न कानूनों में कई संशोधन किए गए हैं जो स्वैच्छिक विकास क्षेत्र से संबंधित हैं। इससे स्वैच्छिक संगठनों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में जटिल कानूनों की भाषा को समझने में कई तरह की बाधाएं सामने आती हैं जिनसे इन कानूनों का पालन करना भी कठिन हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठन जिनके पास संसाधन और साधन हैं, वह तो कानूनों का पालन करने में सक्षम हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

इस स्थिति में, यह दिशानिर्देश प्रक्रियाओं और प्रावधानों का पालन करके संगठनों की सहायता विभिन्न कानूनों के प्रभावी ढंग से करने में करेगी। मैं सुश्री श्रुति शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी वाणी को इस मैन्युअल को बनाने और दस्तावेज करने तथा पूरे मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम प्रबंधक श्री अर्जुन फिलिप्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस अध्ययन का समर्थन करने के लिए सिविक एंगेजमेंट एलायंस के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

परिचय

भारतीय कानूनी प्रणाली की स्थापना प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों और विकास को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। लेकिन विभिन्न सामाजिक चुनौतियां हैं जो लोगों के मौलिक अधिकारों और विकास को खतरे में डालती हैं। इन चुनौतियों को भारत सरकार द्वारा हल किया जाता है जिसे लोगों और देश के विकास के लिए सबसे प्राथमिक शक्ति माना जाता है। इन सबके बीच विकास की बाधाओं को दूर करने और लोगों के जीवन में सुधार करने के प्रति स्वैच्छिक विकास संगठनों के योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है।

भारत में स्वैच्छिक विकास संगठन न केवल स्वतंत्रता पूर्व बल्कि स्वतंत्रता के बाद से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। दशकों से यह संगठन देश के विकास में एक महत्वपूर्ण विकास स्तंभ रहे हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र अपनी जीवंतता, नवीनता और शोध–आधारित परामर्श के लिए विख्यात हैं। स्वैच्छिक विकास संगठन अपने विशाल अनुभव, विशेषज्ञता और सामुदायिक संपर्क के कारण कई प्रकार के दृष्टिकोण के साथ विकसित हुए हैं। भारत में स्वैच्छिक संगठन कई प्रकार के आकारों, भौगोलिक स्थिति, आधार (सदस्यता आधारित, धार्मिक संस्थान, नेटवर्क या समर्थन आधारित) के साथ साथ ही विशाल प्रवृत्ति के हैं। वह उन मुद्दों के आधार पर भी भिन्न होते हैं, जिनके समाधान के लिए वह काम करते हैं और वह स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार से संबंधित सलाह, क्षमता निर्माण आदि पर काम करते हैं।

हालांकि, इन कानूनी रूपरेखाओं को स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यों में हाथ बंटाने के लिए ही बनाया गया था, जबकि इसके स्थान पर यह कानून नागरिक स्थान और नागरिक क्षेत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कानून की प्रक्रिया और भाषा को समझने में दिक्कत होती है और इसके साथ ही हर कानून में विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुपालन को और अधिक जटिल बनाता है। इस प्रकार, इससे स्वैच्छिक संगठनों को इन प्रक्रियाओं और कानूनों के पालन में समस्या होती है जो बदले में उनकी वैधता और काम को प्रभावित करते हैं।

इस अंतर को समाप्त करने के लिए, यह मैन्युअल कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल तरीके से समझने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस मैन्युअल की खास बात यह है कि इसे कहानी के रूप में लिया गया है ताकि पाठक इससे जुड़ पाएं। कहानी न केवल कानून और उसके उद्देश्य को बल्कि उस संदर्भ का भी हवाला देती है जो संगठनों के लिए भरोसेमंद होता है। यह मैन्युअल स्वैच्छिक संगठनों और खास तौर से जमीनी स्तर के संगठनों को को नियामक कानूनों के प्रावधानों को सही से पालन करने में सहायता करेगा जिन्हें कानूनों की विभिन्न प्रक्रिया को समझने और अनुपालन करने में कठिनाई आती है।

शीर्षकः कानूनों का अनुपालन

एक समय की बात है एक शहर में चार अच्छे दोस्त आशीष, नीलम, मोहिनी और नीरज रहते थे। एक साथ वह बढ़े और आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में उन्होनें नौकरी की। आशीष जो पहले से ही सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा था उसे मंत्रालय की सेवाओं में बहुत ही अच्छे पद पर चुना गया। नीलम को बचपन से ही गणित से प्रेम था और उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चुना। मोहिनी ने एक निजी कंपनी में काम करने का फैसला किया और नीरज एक शिक्षक बन गया। लेकिन मोहिनी और नीरज दोनों में ही अपने लोगों और समाज के लिए कुछ रचनात्मक काम करने के लिए एक साझा जुनून था। हालांकि उन दोनों का काम अलग अलग था फिर भी, वे जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते थे। जब भी वे मिलने जाते थे, वह सभी अपने जीवन की घटनाओं और पुराने दिनों की कहानी साझा करते थे। शहर में जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था जो एक बड़ा महानगरीय शहर नहीं था लेकिन ग्रामीण—शहरी सेट—अप के साथ एक छोटा शहर था। शहर का जीवन और लोग सरल थे और वह महानगरीय जीवन की तेज गति से थोड़ा पीछे थे।

नौकरी की रोजमर्रा की आपाधानी के बीच, मोहिनी ने देखा कि परिवार या पुरुष सदस्यों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भर है जिसके कारण शहर में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। उसने कुछ समय के लिए पूरी स्थिति का अधिक बारीकी से निरीक्षण करने का फैसला किया और पता चला कि सरकार के कार्यक्रमों और विभिन्न पहलों के बावजूद, जमीनी स्तर पर समस्याएं अपने मूल रूप से बनी हुई हैं, जो शहर के सभी आयु वर्ग की महिलाओं को अपनी चपेट में ले रही हैं। मोहिनी ने अपने दोस्त नीरज को इस पूरे परिदृश्य के बारे में बताया और कि महिलाओं की आर्थिक निर्भरता के कारण उनके पास परिवार/ या किसी भी सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करने की कोई शक्ति नहीं है जो न केवल उनकी गतिशीलता और स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में उनकी बातों को कहीं भी नहीं सुना जाता है और खास तौर पर लड़कियों के बारे में।

समय के साथ वे दोनों महिलाओं की स्थिति पर गौर करते रहे और फैसला किया कि वह शहर में उनकी स्थिति में सुधार करेंगे। हालांकि, इस यात्रा को शुरू करने के लिए कोई जानकारी न होने के कारण दोनों दोस्तों ने सलाह लेने का फैसला किया। वे अपने दोस्त, आशीष के पास गए, जिसने अपने दोस्तों का स्वागत किया और अचानक इस तरह आने के बारे में पूछा। मोहिनी ने शहर में महिलाओं की स्थिति के परिदृश्य को बताया जो उसने शहर में देखा था और फिर उसने शहर में महिलाओं की मदद करने के विचार को साझा किया। आशीष जो उस समय सरकार के साथ काम कर रहा था उसने बताया कि समाज सेवा कई स्तरों पर की जा सकती है

- पहली तो स्वैच्छिक रूप से व्यक्तिगत स्तर पर
- दूसरा अभियान चलाकर जो किसी विशेष कारण के लिए एक अल्पकालिक गतिविधि है
- अंतिम रूप से अगर समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह शामिल होता है और एक संगठन बनाता है जिसके माध्यम से वे समुदाय की बेहतरी के लिए गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं और योजना बनाते हैं जिसके लिए उन योजनाओं और गतिविधियों को लागू करने के लिए एक औपचारिक सेट—अप की आवश्यकता होती है।

कई दिनों तक पढ़ने, शोध करने, विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों से बात करने के बाद उन्होंने एक संगठन शुरू कर इस काम को करने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें पता चला कि ऐसे अन्य लोग हैं जो

इस विचार का समर्थन करते हैं। उन्होंने उन्हें अपने मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया और वह सभी सामूहिक रूप से एक स्वैच्छिक विकास संगठन (वीडीओ) शुरू करने के निर्णय पर सहमत हुए।

आशीष को उन सभी प्रावधानों के बारे में पता था जो किसी भी संगठन शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। उसने उन्हें समझाया कि एक संगठन को खोलना आसान काम नहीं है, इसके लिए विभिन्न प्रक्रिया और नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनसें लोगों और समाज की स्थिति में सुधार लाने के लिए वीडीओ को उनके द्वारा की गई गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। दोस्तों ने उन्हें संगठन शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए कहा। आशीष ने बताया कि किसी भी संगठन को खोलने के लिए उसे पंजीकृत कराना होता है। स्वैच्छिक संगठनों के लिए तीन प्रकार के पंजीकरण कानून हैंः सोसायटी पंजीकरण एक्ट , भारतीय ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट। उसने अपने दोस्तों को उनके संगठन के पंजीकरण के बारे में फैसला लेने के लिए विस्तार से कानूनों के बारे में बताया।

उन्हानें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के बारे में बताना शुरू कियाः इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले सभी समाज गैर–लाभकारी संस्थाएं होती हैं। कानून ने ऐसी सभी सोसाइटी और संगठनों को कानूनी रूप दिया है। एक्ट ने सभी प्रकार के संगठन को इस एक्ट के अंतर्गत खुद को पंजीकृत करने की स्वतंत्रता दी। एक्ट की धारा 20 में इस एक्ट के अंतर्गत कई तरह की सोसाइटी के पंजीकरण शामिल हैं जो कल्याणकारी हैं, जिनमें सोसाइटी, विज्ञान, साहित्य, ललित कला, पुस्तकालयों के रखरखाव के लिए स्थापित सोसाइटी, सार्वजनिक संग्रहालयों और दीर्घाओं के लिए सोसाइटी शामिल हैं। व्यक्ति और संस्थाएं दोनों ही सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं।

भारतीय ट्रस्ट एक्ट– निजी न्यासों के प्रबंधन के लिए एक्ट। एक्ट में विभिन्न श्रेणियां हैं जिनमें शामिल हैं– (क) न्यासों का गठन, (ख) न्यासियों के कर्तव्य और दायित्वय (ग) उनके अधिकार और शक्तियाँ (घ) उनकी अक्षमताएं (च) लाभार्थी के अधिकार और दायित्व (छ) ट्रस्टी का पद खाली करना (ज) न्यासों की विलुप्ति और (झ) न्यासों के दायित्व। भारतीय ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत किसी भी वैध उद्देश्य के लिए पंजीकृत किए गए निजी ट्रस्ट को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 20 में संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था।

भारतीय कंपनी एक्ट के अंतर्गत गैर–लाभकारी कंपनियां– यह एक्ट कंपनियों को एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत गैर–लाभ की स्थिति प्राप्त करने की अनुमति देता है। भारतीय कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 8 (1) (क) के अनुसार, वाणिज्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, शोध, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण की सुरक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए एक धारा 8 कंपनी स्थापित की जा सकती है। यह धारा 8 कंपनियों के लिए काम के दायरे में वृद्धि करती है क्योंकि इसमें शिक्षा, शोध, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा जैसी वस्तुओं का प्रचार शामिल है जिन्हें पहले के एक्ट में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि केंद्र सरकार सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एक धारा 8 कंपनी को अपने मुनाफे या कोई आय है तो उसे अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश के भुगतान पर रोक लगानी चाहिए।

सोसायटी पंजीकरण एक्ट

आशीष ने मोहिनी और नीरज को अपने संगठन को सोसायटी पंजीकरण एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करने की सलाह दी। अपने सुझाव पर सहमति के बाद मोहिनी ने आशीष से प्रक्रिया और एक्ट के बारे में अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को और स्पष्ट करने के लिए कहा। आशीष ने उन्हें विस्तार में बताया कि कैसे और कौन किसी सोसाइटी का गठन कर सकता है, यह एक्ट क्या लागू करेगा और पंजीकरण एक्ट के अनुपालन को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यकताएं क्या हैं। आशीष ने एक्ट की प्रक्रिया का वर्णन किया, उसने बताया कि इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए व्यक्ति को निम्न करना चाहिए:

- संगठन का कारण और मिशन तय करना

उसके कारणों, लक्ष्यों, लक्ष्य समूह/ टार्गेट समूह और उसके उद्देश्यों को दर्शाते हैं।

- निदेशक मंडल/सदस्यों का गठन

बोर्ड के सदस्यों के पास संगठन के मिशन की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकार और जिम्मेदारी होती है।

- **संगठन का नाम तय करना**

नाम किसी भी संगठन के लिए एक जरूरी आवश्यकता है और इसे सरकारी संस्था, बोर्ड या मंत्रालय या किसी अन्य पंजीकृत कंपनी या वीडीओ के समान नहीं होना चाहिए

- ज्ञापन– आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन

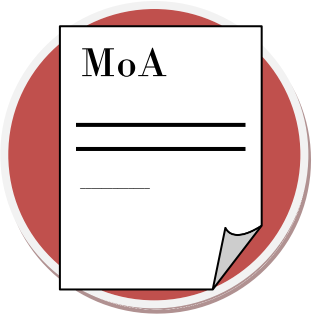

प्रत्येक संगठन को कानूनी रूप से एक ट्रस्टडीड/मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन/बाईलॉ दस्तावेज की आवश्यकता होती है। इसमें वीडीओ, मिशन और उद्देश्यों, नाम और पता, शासी निकाय सदस्यों का विवरण, स्टाफ की जानकारी, नियम और कानून, प्रशासनिक कानून और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

- वीडीओ का पंजीकृत होना

किसी भी संगठन का पंजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संगठन को एक वैध पहचान और एक कानूनी स्थिति प्रदान करता है। एक बार सभी दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद, आवेदन पत्र और आवश्यक शुल्क जमा किया जाता है, वीडीओ को पंजीकृत किया जा सकता है।

.

सोसायटी पंजीकरण एक्ट

साहित्यिक, वैज्ञानिक और कल्याणकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए एक एक्ट

जहां यह अपेक्षा की जाती है कि प्रावधान साहित्य, विज्ञान, या ललित कला के प्रचार के लिए स्थापित समाजों की कानूनी स्थिति में सुधार के लिए या उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए, (राजनीतिक शिक्षा के प्रचार),, या कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए किए जाने चाहिए।

सोसाइटी एक्ट किन पर लागू होता है?

इस एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित समाजों को पंजीकृत किया जा सकता है:— कल्याणकारी सोसाइटी, सैनिकों लिए कोष या भारत सरकार द्वारा स्थापित सोसाइटी, विज्ञान, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए स्थापित सोसाइटी, या शिक्षा के लिए ललित कला, उपयोगी ज्ञान के प्रसार, (राजनीतिक शिक्षा के प्रसार,) सदस्यों के बीच या जन सामान्य के प्रयोग के लिए पुस्तकालयों या वाचनालय की स्थापना या रखरखाव, या सार्वजनिक संग्रहालय और चित्रों और अन्य कलाओं की गैलरी, प्राकृतिक इतिहास, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कार, उपकरण, या डिजाइन के संकलन।

सोसाइटी का गठन कौन कर सकता है?

किसी भी सोसाइटी का गठन किसी भी साहित्यिक, वैज्ञानिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए या इस एक्ट की धारा 20 में वर्णित किसी भी उद्देश्य के लिए किन्ही भी सात या अधिक व्यक्तियों द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनके नाम को लिखकर जमा करने के बाद तथा उसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत फॉर्म भरकर किया जाता है।

किसी सोसायटी के पंजीकरण के लिए कौन–कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

1. सोसायटी पंजीकरण एक्ट 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी को पंजीकृत करने के लिए आवेदना पत्र
2. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दो सेट जिसमें प्रस्तावित शासी निकाय की सूची और वांछित व्यक्तियों की सूची शामिल है
3. संगठन के कामकाज के लिए तैयार किए गए नियमों और विनियमों के दो सेट
4. शपथ पत्र (रु .2 – के स्टैंप पेपर, सोसाइटी के नाम/शीर्षक के संबंध में अध्यक्ष/सचिव से
5. सभी वांछित व्यक्तियों के निवास प्रमाण की प्रति
6. सोसाइटी के पंजीकृत कार्यालय के स्वामित्व का प्रमाण और अनापत्ति प्रमाण पत्र (2 रू के स्टैम्प पेपर पर)

किसी सोसाइटी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है?

ज्ञापन/ मेमोरेंडम सोसाइटी का सूचना पत्र होता है। इसमें शामिल हैं:

- सोसाइटी का नाम
- सोसाइटी के उद्‌देश्य
- शासी निकाय के सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय
- सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान

मेमोरेंडम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनके नाम की सदस्यता लेने वाले सात और अधिक व्यक्तियों के नाम, पते और पूर्ण हस्ताक्षर शामिल हैं

मोहिनी और नीरज ने अपने संगठन साथी के साथ मिलकर संगठन को पंजीकृत करवाया और एक संगठन के संचालन के लिए सभी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मोहिनी को सभी बोर्ड सदस्यों की आम सहमति के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था। संगठन का उद्‌देश्य विशेष रूप से महिलाओं को उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाने और नए कौशल के निर्माण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका उद्देश्य मोहिनी और नीरज द्वारा किए गए शोध और अवलोकन के आधार पर तय किया गया था – महिलाओं के बीच शिल्प कौशल का स्थानीय कौशल है। इसी के आधार पर महिलाओं के बीच उन कौशलों का उपयोग करना और बढ़ाना था, जो उनके शिल्प के लिए एक बाजार तैयार करना है।

आयकर

मोहिनी और नीरज ने अपने संगठन के काम करने के संसाधनों को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की क्योंकि किसी भी गतिविधियों या कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दौरान, उन्होंने विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने के लिए प्रस्ताव लिखना– सरकार के साथ बातचीत करना और दाताओं/डोनर से संपर्क करना सीखा। उन्होंने गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक छोटी टीम बनाई। वित्त और गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक वित्त अधिकारी/फाइनेंस ऑफिसर भी नियुक्त किया गया। हर साल, डोनर के प्रति उत्तरदायी और पारदर्शी होने के लिए संगठन की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। हालांकि, उनके संगठन के लिए पहले वित्तीय वर्ष के अंत में, एक नई समस्या उनके सामने आई क्योंकि उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत थी जो वीडीओ पर भी लागू होता है। मोहिनी और नीरज ने एक और दोस्त नीलम की मदद मांगी, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उसने उन्हें बताया कि हर तरह के वित्त और खातों को कैसे बनाए रखा जाना चाहिए और एक संगठन द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा, उसने उन प्रावधानों को भी विस्तार से बताया जिनके अंतर्गत वीडीओ को कर के भुगतान से छूट दी गई है और वीडीओ की कुछ सेवाओं पर आयकर लागू होगा।

मोहिनी ने बताया कि उसके संगठन 'साथी' के दिल्ली हाट और अन्य शिल्प मेला की दुकानों के साथ टाई–अप हैं जहां वे महिलाओं द्वारा बनाए हुए सामान बेचते हैं। उसने नीलम से पूछा कि क्या सामान बेचने से होने वाली आय से कोई कर लगेगा। नीलम ने बताया कि संगठन द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर धारा 2 (15) के प्रावधान लागू होंगे। उसने आगे स्पष्ट किया कि आयकर के इस विशेष खंड के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति में किसी भी गतिविधि को छूट नहीं दी जाती है। इस प्रकार, संगठन को माल और सेवाओं से उत्पन्न आय पर कर का भुगतान करना पड़ता है।

आयकर

वह कानूनी आधारभूत संरचना, जो सार्वजनिक कल्याणकारी संस्थाओं की आय की कर–व्यवस्था को नियंत्रित करती है (एक ट्रस्ट सहित जिसमें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, या ऐसी अन्य संस्थाओं के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी सम्मिलित होते है।) उसमें अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से एक या अधिक सम्मिलित होते हैं – (क) धारा 2 (15);(ख) धारा 2 (24) (आईआईए); (ग) धारा 10; (घ) धारा 11, 12, 12 ए, 12एए और 13; (च) धारा 35 (1) (2) और 35 *(i)(iii); (vi)* धारा 115बीबीसी

धारा 2 (15):- इसमें कल्याणकारी उद्देश्य की व्याख्या को एक्ट की धारा 2 (15) में परिभाषित किया गया है: (क) गरीबों को राहत, (ख) शिक्षा, (ग) चिकित्सा राहत, और (घ) सामान्य जनोपयोगी कार्य तथा

किसी अन्य वस्तु का सुधार करना शामिल है।
धारा 2 (15) में एक संशोधन करके वित्त एक्ट, 2008 के माध्यम से संशोधित किया गया था जिसमें कहा गया था कि सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य वस्तु मे सुधार तब कल्याणकारी उद्देश्य का नहीं होगा जब यह निम्न कार्य नहीं करेगाः–
(क) व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय करने वाली प्रकृति में कोई गतिविधि; या
(ख) किसी भी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने वाली गतिविधि; उपकर या शुल्क या किसी अन्य छूट के लिए फिर चाहे कैसी गतिविधि हो ऐसी गतिविधि से होने वाली आय ।

धारा 12एः –नए नियम 11 और धारा 12 के प्रावधान जो ऐसे न्यासों और संस्थानों को आय में छूट प्रदान करते हैं, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि इस तरह के ट्रस्ट या संस्थान आयुक्त या निदेशक को पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म में आवेदन नहीं करते हैंऔर यह आयुक्त या निदेशक द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है।
वित्त एक्ट 2014 ने यह कहकर कुछ और संशोधन किए हैं कि जहां पात्र ट्रस्ट या संस्थान जिन्हें एक्ट की धारा 12 एए के अंतर्गत पंजीकरण की अनुमति दी गई है, वे एक्ट की धारा 11 और 12 के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे, जो इस तरह के पंजीकरण की तारीख पर पहले से ही किसी भी वर्ष के लिए लंबित है ।

किसी कल्याणकारी या धार्मिक ट्रस्ट या संगठन के कर योग्य आय पर किस दर पर कर लगाए जाते हैं?
दान या धार्मिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से ट्रस्ट के अंतर्गत स्वामित्व में संपत्ति से प्राप्त आय, कुछ सीमा तक धारा 11 और 12 के अंतर्गत छूट नहीं है। इस पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन (एओपी) के लिए लागू सामान्य दरों पर कर लग सकता है सिवाय उसके जब वह उसी में हो अनाम दान की प्रकृति में हो जो 30 प्रतिशत की दर से कर के लिए लगाई जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां धारा 11 के अंतर्गत छूट किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा धारा 13 (1) (ग) या 13 (1) (घ) के अंतर्गत मूल रूप से प्राप्त की जाती है (अर्थात, जहां ट्रस्ट या संस्थान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 13 (3) के अंतर्गत बताए गए इसके लेखक, संस्थापक या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, या क्योंकि ट्रस्ट या संस्था की निधि को निर्दिष्ट मोड की तुलना में अन्यथा निवेश किया गया था), इस तरह के ट्रस्ट या संस्थान की आय पर कर लगाया जाएगा (अधिभार सहित) जो विचाराधीन आकलन वर्ष के लिए आय के उच्चतम स्लैब पर लागू होगा।

मोहिनी ने संगठन की प्रोग्राम टीम को कार्यशाला का आयोजन करने के लिए कहा। टीम ने आयकर में अधिक स्पष्टता और चर्चा, इसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं और उनके पालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए कार्यशाला में भाग लेने के लिए अन्य स्वैच्छिक संगठन के खाता विभागों के साथ बात करने के लिए आमंत्रित किया। जब कार्यशाला का आयोजन किया गया तो उस दिन नीलम ने स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए प्रासंगिक आयकर कानून की विभिन्न धाराओं का विवरण समझाया। साथ ही कहा कि संगठन खुद को धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकृत करके आयकर छूट का लाभ उठा सकता है, लेकिन इस तरह के पंजीकरण से दान करने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। विस्तार से चर्चा करते हुए नीलम ने बताया कि आयकर में कुछ प्रावधान हैं जो दानदाताओं को कर लाभ प्रदान करते हैं अर्थात् धारा 80 G। यदि कोई स्वैच्छिक संगठन खुद को 80 G के अंतर्गत पंजीकृत करवाता है तो दान करने वाले व्यक्ति/संगठन को कर लाभ मिलेगा जैसे मोहिनी का संगठन संभावित दाताओं को आकर्षित करने के लिए इन दो वर्गों के अंतर्गत पंजीकरण कर सकता हैं। कार्यशाला के दौरान, उन्होंने सवालों को स्पष्ट किया और सभी सवालों के जवाब दिए और सभी प्रतिभागियों को बहुत ही आसान तरीके से 12 ए और 80 G की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया।

12ए पंजीकरण प्रक्रिया

एक पूरी तरह से भरा हुआ 10ए फॉर्म आयकर आयुक्त के पास पहुंच जाना चाहिए।

⇩

निम्नलिखित दस्तावेज जो संलग्न होने चाहिए:

- √ ट्रस्टी के नाम, पते और पैन विवरणों की सूची
- √ संगठन की स्थापना के समय पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति
- √ दस्तावेजों की एक प्रमाणित प्रति (ट्रस्ट डीड/एमओए और एओए) जो इस बात का प्रमाण है कि संस्था मौजूद है और पंजीकृत है।
- √ मकान मालिक से एनओसी (जहां पंजीकृत संगठन स्थित है)
- √ संगठन के पैन कार्ड की प्रति
- √ संगठन के लिए पते का प्रमाण पत्र, बिजली बिल की प्रति/गृहकर/पानी के बिल की रसीद।

⇩

आयकर आयुक्त आवेदन को सत्यापित करने और ट्रस्ट की गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज या जानकारी मांग सकता है।

⇩

आयकर आयुक्त पंजीकरण देने या अस्वीकार करने के आदेश को पारित करेगा

धारा –80 G

आयकर एक्ट की धारा 80 जी के अंतर्गत, ऐसे संगठनों के दाताओं को उनके द्वारा दान की गई राशि पर कर प्राप्त होता है। अधिकतर मामलों में लागू छूट की दर दान की गई राशि का 50 फीसदी है। किसी दानदाता को यह छूट तब मिल सकती है जब जिस ट्रस्ट या संस्थान को दान किया गया है वह ऐसा हो जिसे इस उद्देश्य के लिए आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।

किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा धारा 80 G के अंतर्गत इस तरह की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

धारा 80 G (5) उन पूर्व शर्तों को बताती है जिसपर किसी ट्रस्ट या संस्थान को धारा 80 G के अंतर्गत अनुमति लेने के पहले पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। इन शर्तों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

(क) धारा11 और 12 धारा 10 (23एए) या धारा 10 (23ग) में निहित प्रावधानों के आधार पर निधि या संस्थान की आय उसकी कुल आय में शामिल नहीं होगी;

(ख) उस नियम के अनुसार जिसके अंतर्गत निधि या संस्थान बनाया गया था और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, इसकी आय या संपत्ति का कोई भी हिस्सा हस्तांतरणीय नहीं है, या कल्याणकारी उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कहीं और प्रयोग किया जाता है। कल्याणकारी उद्देश्य में नीचे धारा 80 G के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार धार्मिक कार्य शामिल नहीं होगे। हालाँकि, धारा 80जी (5ख) धार्मिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के लिए आय को 5 प्रतिशत तक प्रयोग करने की अनुमति देती है।

(ग) किसी विशेष धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिए निधि या संस्थान को व्यक्त नहीं किया जाता है;

(घ) यह अपनी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में खाते की नियमित पुस्तकों को बनाए रखता है;

(च) संस्था या फंड या तो एक सार्वजनिक कल्याणकारी ट्रस्ट के रूप में गठित किया जाता है, या सोसायटी पंजीकरण एक्ट (या इसके समकक्ष कानून) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी, या एक सांविधिक विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान;

(छ) संस्था या निधि को आयुक्त (या निदेशक) द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

धारा 80 G के अंतर्गत किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आयकर आयुक्त कितना समय लेगा?

आयकर आयुक्त, जिनके पास आवेदन किया जाता है, को छह महीने के भीतर आवेदन का निपटान करना होता है (अनुमोदन देने की प्रक्रिया में आयुक्त द्वारा बुलायी गयी जानकारी प्रदान करने के लिए आंकलन होने वाले संगठन द्वारा ली गई अवधि को छोड़कर)।

80G पंजीकरण प्रक्रिया

1. आवेदन

80 G के अंतर्गत पंजीकरण आवेदक/ संगठन द्वारा आवेदन पत्र 10 जी प्राप्त करने के बाद आयकर आयुक्त द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा

2. आवश्यक दस्तावेज

आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना है:

- √ पंजीकरण प्रमाणपत्र और एमओए /ट्रस्ट डीड
- √ मकान मालिक से एनओसी (जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है),
- √ संगठन के पैन कार्ड की प्रति,
- √ पता सबूत, जैसा कि बिजली बिल/गृहकर रसीद/ पानी बिल की कॉपी में है,
- √ पिछले 3 वर्षों में या निगमन के बाद से कल्याणकारी गतिविधियों का सबूत और प्रगति रिपोर्ट,
- √ अपने संपर्क विवरण के साथ शासी निकाय सदस्यों की सूची
- √ पिछले 3 वर्षों से या निगमन के बाद से ही खातों का विवरण, बैलेंस शीट, आयकर रिटर्न दस्तावेज,
- √ दानकर्ताओं की सूची और विवरण, जैसे उनका पता और पैन,
- √ धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण की प्रति या धारा 10 (23) या

3. प्रमाणपत्र जारी करना

आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त एक लिखित आदेश पारित कर सकता है जो आयकर अधिनियम की धारा 80 G के अंतर्गत ट्रस्ट या संस्था को प्रभावी रूप से पंजीकृत करेगा। आवश्यकता महसूस होने पर आयुक्त आवेदक से और दस्तावेजों की मांग कर सकता है या फिर वह आवेदन अस्वीकार भी कर सकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि

महिलाओं को सशक्त बनाने और शहर में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, मोहिनी और उनकी टीम ने काम करना शुरू किया और विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना शुरू किया। उत्साही महिलाएं और टीम अपनी पूरी मेहनत से सकारात्मक दिशा में पहल कर रही थी। लेकिन समय के साथ संगठन में काम बढ़ रहा था, बदले में संगठन में काम करने वाले सीमित मानव संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था। वर्तमान कार्यभार को देखते हुए नीरज ने मोहिनी को अपने बीच काम को संतुलित करने के लिए और अधिक लोगों को नौकरी देने का सुझाव दिया। मोहिनी ने इस बारे में सोचा और संगठन के एचआर को काम के दबाव को विभाजित करने के लिए कई पदों पर नौकरी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा। समय के साथ जल्द ही संगठन की गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अधिक कर्मचारियों की भर्ती की गई।

संगठन ने 10 कर्मचारियों की एक छोटी टीम के साथ शुरू किया, धीरे–धीरे 25 कर्मचारियों तक बढ़ गया, जो कई स्तरों पर काम कर रहे थे। इस दौरान, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न उठाया गया था। मोहिनी ने देखा कि उसके अपने संगठन के भीतर कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने के लिए कोई नियम और नीतियां नहीं थीं। साथी वीडीओ पर शोध के बाद, उसने देखा कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जो सामाजिक रूप से पूरे क्षेत्र में बीमारी, मातृत्व, काम के दौरान किसी कारण से अपंगता और मृत्यु के मामले में कर्मचारियों को कवर करने और उनकी रक्षा करने के लिए और बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। संगठन की सीईओ होने के नाते मोहिनी ने बोर्ड के सदस्यों के बीच विभिन्न नीतियों को स्थापित करने और उनके मार्गदर्शन और समझौते के लिए विचार करने का प्रस्ताव रखा। सदस्यों ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में सोचा और नीतियों को लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो नौकरी के दौरान बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और मृत्यु की घटनाओं के खिलाफ संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा और चिकित्सा प्रदान करने और बीमित कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल करने के लिए है।

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट उद्योगों में लगे कारखानों या अन्य अधिसूचित संस्थानों व प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। बड़े उद्योगों, सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उपक्रमों के लिए इस्तेमाल को सुगम बनाने के लिए ईपीएफओ ने कई ऑनलाइन सेवाओं को आरंभ किया है जिनमें संस्थानों के पंजीकरण से लेकर योगदानों और शुल्कों के ऑनलाइन भुगतान के साथ एकीकृत मासिक पंजीकरण शामिल हैं।

ईएसआई योजना का संचालन किस के द्वारा होता है?

ईएसआई योजना एक वैधानिक कॉर्पोरेट इकाई द्वारा प्रशासित की जाती है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कहा जाता है, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चिकित्सा पेशे और संसद के माननीय सदस्य होते हैं। महानिदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और निगम का पदेन सदस्य भी होता है।

वे कौन से संस्थान हैं जिनमें ईएसआई को लागू किया जाता है? केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित धारा 1 (3) के क्षेत्र में?

एक्ट की धारा 2 (12) के अंतर्गत यह एक्ट 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर–मौसमी कारखानों पर लागू होता है। एक्ट की धारा 1 (5) के अंतर्गत, इस योजना का विस्तार दुकानों, होटल, रेस्तरां, सिनेमाघरों में किया गया है जिसमें प्रीव्यु थिएटर, सड़क–मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र संस्थान, बीमा व्यवसाय में लगे संस्थान, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, पोर्ट न्यास, एयरपोर्ट अथॉरिटीज और 10 से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने वाले वेयरहाउसिंग संस्थान आदि शामिल हैं। एक्ट की धारा 1 (5) के अंतर्गत, इस योजना को कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उन निजी चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित किया गया है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं।

नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न/ रिपोर्ट क्या हैं?

नियोक्ता को निम्नलिखित रिकॉर्ड जमा करने होंगे:
1 दुर्घटना रिपोर्ट: संबंधित शाखा कार्यालय को फॉर्म –12 में दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर ऑन लाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2 अभियोग सत्यापन रिपोर्ट: इसे किसी भी आईपी के संबंध में शाखा प्रबंधक द्वारा मांगे जाने पर शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. प्रमुख नियोक्ता के संबंध में उपस्थिति, मजदूरी और खातों की किताबें आदि सहित रिकॉर्ड और श्रम कानूनों द्वारा आवश्यक तत्काल नियोक्ता के रिकॉर्ड।

कुछ समय बाद जब नीतियों को स्वीकृत करने के बाद, जब उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा था तो इसी के दौरान एक खबर सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। समाचार चैनलों और मीडिया ने सरकार में नौकरशाहों के बीच जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक धरना और भूख हड़ताल को जनता के सामने प्रस्तुत किया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने इस एजेंडे का समर्थन किया। दबाव के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का मुकाबला करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक नया कानून लाया गया।

लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट
लोक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट लाया गया। सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए हर साल अपनी संपत्ति और निर्धारित सूचनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जल्द ही यह खबर आई कि इसी एक्ट में वीडीओ सेक्टर भी शामिल है। इस नई खबर के साथ, नीरज ने इस कानून के नियमों और प्रक्रिया के बारे में सभी ज्ञान इकट्ठा करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने पाया कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत तीन नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जो विभिन्न सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए वीडीओ के पदाधिकारियों को निर्देश प्रदान करते हैं।

मोहिनी और नीरज ने कानून और अधिसूचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार में भरोसेमंद स्रोत से संपर्क किया। उस अधिकारी ने स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए प्रासंगिक विभिन्न नियमों और आदेशों को बताया।

लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट
केन्द्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के एक निकाय की स्थापना के लिए एक एक्ट, जिससे कुछ सार्वजनिक कार्यकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके साथ जुड़े मामलों की जांच के लिए।

लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत नियम और आदेश क्या हैं?
एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित नियम और आदेश इस प्रकार हैं –
(क) लोक सेवक (सूचना और परिसम्पत्तियों व दायित्वों के सालाना रिटर्न के बारे में बताना तथा कर देने में परिसम्पत्तियों की छूट की सीमा के बारे में बताना।) नियम, 2014, जिसे गजट अधिसूचना सं जी.एस.आर. 501 (ई) दिनांक 14–07–2014 को संशोधित अधिसूचना संख्या जीएसआर नंबर 638 (ई) दिनांक 08–09–2014 द्वारा अधिसूचित किया गया
(ख) लोक सेवक (सूचना और परिसम्पत्तियों व दायित्वों के सालाना रिटर्न के बारे में बताना तथा कर देने में परिसम्पत्तियों की छूट की सीमा के बारे में बतानां) दूसरा संशोधन नियम, 2014। जिसे गजट अधिसूचना सं जी.एस.आर. 918 (ई) दिनांक 26–12–2014द्वारा अधिसूचित किया गया
(ग) खोज समिति (सदस्यों का गठन, नियम और शर्तें और अध्यक्ष और लोकपाल के सदस्यों की

नियुक्ति के लिए पैनल चयन के तरीके) नियम, 2014। जिसे अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 31 (ई) दिनांक 17–01–2014 द्वारा अधिसूचित किया गया।
(घ) खोज समिति (सदस्यों का गठन, नियम और शर्तें और अध्यक्ष और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पैनल चयन के तरीके) संशोधन नियम, 2014। जिसे अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 620 (ई) दिनांक 27–08– 2014द्वारा अधिसूचित किया गया।
(च) लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2014 जिसे अधिसूचना सं. 409 (ई) दिनांक 15–02–2014 को बाद के संशोधनों अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1840 (ई) दिनांक 14–07–2014, सं एस.ओ. 2256 (ई) दिनांक 08–09–2014 और सं एस.ओ. 3272 (ई) दिनांक 26–12–2014 द्वारा अधिसूचित किया गया।

क्या सरकार ने लोकपाल कानून के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित किया है?
लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी देने के लिए फॉर्म और तरीके लोक सेवक नियम (सूचना और परिसम्पत्तियों व दायित्वों के सालाना रिटर्न के बारे में बताना तथा कर देने में परिसम्पत्तियों की छूट की सीमा के बारे में बताना) नियम, 2014 के रूप में जारी किए गए हैं जिनमें समय–समय पर संशोधन हुआ है। इस तरह की घोषणा और रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा के संबंध में प्रारूप और स्पष्टीकरण का एक पूरा सेट इस विभाग के ऑफिस आदेश सं 407/ 12/2014 /एवीडी–चतुर्थ–बी दिनांक 18–03– 2015 में प्रदान किया गया है।

वर्ष 2014 और 2015 और बाद के वर्षों के लिए ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा क्या है?
विभिन्न वर्षों के लिए आवश्यक वार्षिक रिटर्न की समय–सीमा निम्नानुसार है:
(क) लोकपाल एक्ट के अंतर्गत पहला रिटर्न (1 अगस्त 2014 को) 15 अक्टूबर 2015 को या उससे पहले दर्ज की जानी चाहिए
(ख) लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के अंतर्गत 3मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अगली वार्षिक रिटर्न 5अक्टूबर 2015 को या उससे पहले दर्ज की जानी चाहिए तथा
(ग) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बाद के वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न उस वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पहले दर्ज किया जाना चाहिए।

जुलाई 2016 में, सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि संगठनों और संघों के लिए लोकपाल रिटर्न के लिए बाद में तारीख जारी की जाएगी। जिसके बाद मोहिनी ने अपनी टीम को इस नए कदम के बारे में बताया कि सरकार द्वारा नया फॉर्म जारी करने के बाद लोकपाल रिटर्न लागू होगा।

विभिन्न कानूनों और एक्टों के लिए सभी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के बाद मोहिनी ने यह भी देखा कि सभी कानूनों का सही से पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शी भी हैं। वर्ष 2017 के दौरान, भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं पर एक और कर लगाया जो न केवल कॉरपोरेट और व्यापार को प्रभावित करेगा, बल्कि स्वैच्छिक क्षेत्र की कुछ गतिविधियाँ भी इसके दायरे में आएंगी।

वस्तु तथा सेवा कर अर्थात जीएसटी

जीएसटी में कई करों और शुल्कों को शामिल किया जिसमें शामिल थे: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्य–स्तरीय मूल्य कर और ऑक्ट्रोई। नीरज ने जीएसटी के बारे में और वीडीओ पर यह कितना लागू होगा इसके बारे में काफी कुछ जानने की पहल की क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत स्वैच्छिक विकास संगठनों को भी वस्तु और सेवा कर का भुगतान करना होगा। ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए छूट नहीं है। वीडीओ द्वारा प्रदान करने वाली कई सेवाएँ हैं जो जीएसटी के दायरे में होंगी। चूंकि वीडीओ आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम करता है और महिलाओं द्वारा बनाए गए शिल्प सामानों की बिक्री से एक बाजार बनाता है। मोहिनी और नीरज इस बारे में असमंजस में थे कि किस सेवा पर जीएसटी लगेगा। उन्होंने फिर से सलाह करने के लिए अपने दोस्त आशीष से मदद मांगी। अपने दोस्तों को असमंजस की स्थिति से बाहर लाने के लिए आशीष ने जीएसटी के सभी प्रावधानों, प्रक्रिया को समझाया और उन नियमों और संशोधनों व अनुमोदनों को बताया जिनके अंतर्गत उनकी वीडीओ सेवाओं पर शुल्क लगाया जा सकता था।

वस्तु एवं सेवा कर

जब कोई एनपीओ अपने राज्य के बाहर किसी को सामान और सेवाएं बेचता है, तो एनपीए को जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा। ऐसी परिस्थितियों में, कुल कारोबार यदि 10 से 20 लाख की सीमा में है तो यह लागू नहीं होगा।

वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों को पंजीकृत करना है?

धारा 12 एए के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को छूट है, लेकिन यह एक शर्त के अधीन है; सेवाओं को केवल तभी छूट दी जा सकती है जब वे प्रकृति में परोपकारी हों।

जीएसटी के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों को किस रूप में परिभाषित किया गया है?

कल्याणकारी गतिविधियों का अर्थ है:

निम्न के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य

क) गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति जिसे गंभीर शारीरिक या मानसिक विकलांगता है (अ) एचआईवी / एड्स से पीड़ित व्यक्ति (ब) नशीले पदार्थों, मादक पदार्थों या अल्कोहल जैसी आदतों के लती व्यक्तियों की देखभाल व सलाह

ख) निवारक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन या एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जागरूकता

– धर्म, अध्यात्म और योग का विस्तार

– शैक्षिक कार्यक्रमों या कौशल विकास से संबंधित सुधार (क) परित्यक्त, अनाथ या बेघर बच्चे (ख) शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित लोग (ग) कैदी (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग के सुधार व बेहतरीकरण के लिए काम करना

– वाटरशेड, वन और वन्य जीवों के साथ पर्यावरण का संरक्षण।

एनजीओ को किन सेवाओं में छूट दी गई है?

एनजीओ द्वारा सेवाओं को जीएसटी से निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर छूट प्रदान की जाती है:

(क) आयकर एक्ट की धारा 12 एए के अंतर्गत पंजीकृत होने पर

(ख) इकाई द्वारा सेवा या गतिविधियाँ जिन्हें अधिसूचना में कल्याणकारी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है

जीएसटी कब लगाया जाएगा?

जीएसटी तब लागू होगा जब इसमें लाभ और फायदे के साथ नकद दान शामिल होगा। इनमें यह भी शामिल है–

– प्रायोजक /दाता के नाम का प्रचार या विज्ञापन करना
– टी–शर्ट आदि परिधानों पर प्रचार
– प्रायोजक के नाम पर समारोह का आयोजन होना
– एक ही तरह से दान के लिए आवेदन करता है
– अनुदान संचयन कार्यक्रम

किन कल्याणकारी गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है?

निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियों और सेवाओं को छूट नहीं दी गई है:

- यदि ट्रस्ट उस उद्देश्य के लिए एक स्कूल चला रहा है जो अधिसूचना में परिभाषित कल्याणकारी गतिविधियों के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसी गतिविधि से आय को अधिसूचना संख्या 9/2017के अंतर्गत छूट नहीं दी जाएगी।
- पात्र शैक्षणिक संस्थान के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन।
- सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी दोपहर की भोजन योजना सहित खानपान सेवा।
- ऐसे शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा या सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएं।
- ऐसी संस्था में प्रवेश से संबंधित सेवाएं या परीक्षा आयोजित करना।
- प्रतिभागियों से दान या अन्य शुल्क प्राप्त करके आवासीय या गैर–आवासीय योग शिविरों की व्यवस्था करने वाले न्यास/संस्थान को कल्याणकारी गतिविधियां नहीं माना जाएगा।
- यदि अस्पताल डॉक्टरों/विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं और डॉक्टरों से देय परामर्श/यात्रा शुल्क से कुछ पैसा काटते हैं और अस्पतालों और सलाहकारों के बीच का समझौता कुछ ऐसा है कि डॉक्टरों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ पैसा वसूला जाता है, तो इस तरह डॉक्टरों को दी जाने वाली फीस से की गई कटौती पर जीएसटी लग सकता है।
- कल्याणकारी न्यासों द्वारा माल की आपूर्ति के लिए कोई छूट नहीं है। इस प्रकार, इस तरह के कल्याणकारी न्यासों द्वारा आपूर्ति की गई हर वस्तु पर जीएसटी लगेगा।

क्या कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा बेचे जाने वाले सामान पर जीएसटी लागू होगा?

कल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा बेचे जाने वाले सामानों पर कर लगेगा। कल्याणकारी को आपूर्ति खरीदते समय लागू जीएसटी दर का भुगतान करना होगा।

जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है?

आम तौर पर, माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर कर का भुगतान करता है। रिवर्स चार्ज के मामले में, पाने वाला कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, अर्थात, शुल्क की क्षमता उलट हो जाती है। यदि कोई विक्रेता जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, और वह जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति को माल की आपूर्ति करता है, तो रिवर्स चार्ज लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जीएसटी का भुगतान आपूर्तिकर्ता की बजाय सीधे सरकार को करना होगा।

वे कौन सी कल्याणकारी गतिविधियाँ हैं जिनमें रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत जीएसटी नहीं लगता है?

आयकर एक्ट की धारा 12एए के अंतर्गत पंजीकृत कल्याणकारी ट्रस्ट गैर–कर योग्य क्षेत्र में स्थित प्रदाता से कोई भी सेवा कल्याणकारी उद्देश्य के लिए प्राप्त करते हैं तो प्राप्त की गई ऐसी सेवाएँ रिवर्स चार्ज तंत्र के अंतर्गत जीएसटी के लिए प्रभार्य नहीं हैं।

जहां एक ओर संगठन अपने सुचारू संचालन के लिए इन कानूनों को अनुपालन करने के लिए हर प्रावधान का पालन कर रहा था। इसके अलावा, मोहिनी के लिए संगठन चलाने के लिए पैसों की कमी भी एक और चुनौती बन कर उभर रही थी। स्थानीय स्तर पर और सरकार के माध्यम से संसाधनों का सृजन एक आसान काम नहीं था। उसने साथी संगठन के लोगों के साथ परामर्श करने के बाद यह सुझाव दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय फंड विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या विदेशी संगठनों द्वारा दिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये विदेशी संस्थाएं उन मुद्दों में काफी रूचि रखती हैं और काफी धन देती हैं। साथी वह अपनी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध करने में सक्षम होंगे। इस जानकारी के साथ मोहिनी और नीरज ने इन नए स्रोतों पर सक्रिय रूप से शोध किया और जल्द ही कुछ विदेशी फंडों के बारे में सीखा जो संगठन के हित में काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने संसाधनों को पैदा करने के लिए इन विदेशी दाताओं से संपर्क किया।

विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट

जहां स्वैच्छिक विकास संगठन पहले से ही घटते संसाधनों का सामना कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा कानूनों में एक और नियम जुड़ गया। यह विशेष कानून भारतीय वीडीओ की गतिविधियों और निगरानी करने के लिए है जिन्हें विदेशी मदद मिलती है। इस खबर ने स्वैच्छिक क्षेत्र में एक तरह की अराजकता पैदा कर दी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कानूनों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होने के कारण कई संगठनों का लाइसेंस रद्द हो गए।

मोहिनी और वरिष्ठ प्रबंधन ने स्थिति के संबंध में कार्रवाई तय करने के लिए एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। उन्हें लगा कि इस स्थिति में सुधार और मार्गदर्शन करने में मदद केवल सरकार कर सकती है। इस प्रकार, मोहिनी ने अपने दोस्त आशीष (सरकारी अधिकारी) से कानून के साथ मदद करने के लिए संपर्क किया। आशीष के साथ उनके अन्य सहयोगियों ने इस कानून के अनुपालन को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और विभिन्न प्रावधानों के बारे में मोहिनी और संगठन की मदद की।

विदेशी अंशदान विनियमन एक्ट एफसीआरए,

जैसा कि एफसीआरए, 2010 की धारा 2 (1) (एच) में परिभाषित किया गया है, विदेशी योगदान का अर्थ है किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा क) किसी भी वस्तु का दान, डिलिवरी या हस्तांतरण जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक उपहार के रूप में नहीं दिया गया है, यदि भारत में इस तरह की वस्तु की कीमत उस मूल्य से अधिक नही है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट नियमों द्वारा किया जा सकता है (ख) किसी भी मुद्रा का दान, डिलिवरी या हस्तांतरण, चाहे भारतीय हो या विदेशीय (ग) प्रतिभूति का दान, डिलिवरी या हस्तांतरण जैसा कि प्रतिभूति (विनियमन) एक्ट, 1956 की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित किया गया है तथा इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट, 1999 की धारा 2 के खंड (ओ) में परिभाषित कोई भी विदेशी प्रतिभूति शामिल हैं।

एफसीआरए, 2010 किसके लिए लागू होता है?

एफसीआरए, 2010 की धारा 1 (2) के अनुसार, इस एक्ट के प्रावधान निम्न पर लागू होंगे:

क) पूरे भारत में

ख) भारत के बाहर भारत के नागरिक; तथा

ग) भारत में पंजीकृत या निगमित, कंपनियों या निकायों की भारत से बाहर शाखाएँ या सहायक कंपनियां

विदेशी योगदान कौन कौन ले सकता है?
कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है:
क) इसके लिए एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम होना चाहिए।
ख) इसे केंद्र सरकार से एफसीआरए पंजीकरण और पूर्व अनुमति लेनी होगी
ग) यह एफसीआरए, 2010 की धारा 3 के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।

विदेशी योगदान किसे नहीं मिल सकता है?
एफसीआरए, 2010 की धारा 3 (1) में निर्देशों के अनुसार, निम्न स्थितियों व व्यक्तियों को विदेशी योगदान नहीं मिल सकता है:
(क) चुनाव के लिए उम्मीदवार;
(ख) किसी पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, स्वामी, प्रिंटर या प्रकाशक; (ग) सरकार के किसी भी निगम या किसी अन्य निकाय के न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी या सरकार के स्वामित्व वाला कोई भी निकाय
(घ) किसी विधायिका का सदस्य;
(ङ) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी
(च) केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का राजनीतिक संगठन।
(छ) किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऑडियो समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या करंट अफेयर्स कार्यक्रम के निर्माण या प्रसारण में लगे हुए संगठन या कंपनी, या सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) में परिभाषित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप याजन संचार का कोई अन्य माध्यम;
(ज) बिंदु में बताए गए संवाददाता या स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, एसोसिएशन या कंपनी के मालिक
(झ) वह व्यक्ति या संगठन जिन्हें विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।

पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण के अनुदान के लिए, संगठन को निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए: (क) सोसाइटी पंजीकरण एक्ट, 1860 या भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 या कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 25 (कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8) की तरह किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए • (ख) सामान्य रूप से कम से कम तीन वर्षों से काम कर रहा है और समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में उचित गतिविधियां की हैं जिनके लिए उसे विदेशी मदद की जरूरत है। आवेदक एनजीओ /संगठन अपने अनुसार वस्तुओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा (एफसीआरआर, 2011 के नियम 5 में परिभाषित प्रशासनिक व्यय को छोड़कर) जिससे वह पिछले तीन वर्षों के दौरान 10.00 लाख खर्च की गई पूंजी के लिए पात्र हो जाएगा। अगर संगठन भूमि, भवन, अन्य स्थायी संरचनाओं, वाहनों, उपकरणों आदि जैसी परिसंपत्तियों में अपने पूंजी निवेश को शामिल करना चाहता है, तो फिर मुख्य कार्यकारिणी को एक वचन देना होगा कि इन परिसंपत्तियों का उपयोग केवल एफसीआरए गतिविधियों के लिए किया जाएगा और वह एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण के रहने तक किसी अन्य कारण के लिए पैसे खर्च नहीं करेंगे।

क्या केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन संगठनों को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?
केंद्रीय एक्ट या राज्य एक्ट के अंतर्गत या उसके द्वारा गठित या स्थापित किए गए सभी निकायों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से लेखा–जोखा रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें एफसीआरए, 2010 के सभी प्रावधानों के संचालन से छूट दी जाती है।

पंजीकरण /पूर्व अनुमति के लिए आवेदन कैसे जमा करें?
पंजीकरण /पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन पत्र एफसी –3 (ए) और एफसी –3 (बी) के रूप में

वेबसाइट fcraonline.nic.in पर ऑनलाइन जमा किया जाना है।
पंजीकरण और पूर्व अनुमति और नवीनीकरण के लिए शुल्क की राशि क्या है? उत्तरः पंजीकरण के लिए संगठन को 5,000 /– का शुल्क चुकाना होगा और पूर्व अनुमति के लिए, शुल्क रु. 3,000/ – और नवीकरण के लिए, शुल्क 1500 /– है।
क्या कोई संगठन इस प्राप्त आय को लाभदायक उपक्रमों में निवेश कर सकता है और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए आय का उपयोग कर सकता है? एफसीआरए एक्ट 2010 के अंतर्गत कुछ उद्देश्यों /लक्ष्यों के लिए एफसी प्राप्त करने के लिए संगठनों को पंजीकरण/ पूर्व अनुमति दी जाती है। तदनुसार, एफसी का उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया है।
ऑनलाइन रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्या है? रिटर्न को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए वर्ष समाप्त होने के नौ महीने की अवधि के भीतर यानी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक ऑनलाइन दाखिल किया जाना है।

एफसीआरए पंजीकरण की प्रकिया (ऑनलाइन)

ऑनलाइन पंजीकरण

एफसीआरए ऑनलाइन पोर्टल खोले

↓

एफसीआरए ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करें”

↓

एफसीआरए पंजीकरण के लिए एफ3 एप्लीकेटर चुनें

↓

ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें

↓

एफसीआरए खाते के लिए साइन अप करें

↓

साइन अप विकल्प चुनें। सभी आवश्यक विवरणों को भरें और सहेंजें। स्क्रीन पर एक संदेश उभरेगा यूजर आईडी सफलतापूर्वक बनाया गया। आपका यूजर आईडी है।

एफसीआरए खाने में लॉग इन करना

बनाई गई आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें

↓

'आवेदन कर रहा हूं' पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनू से एफसीआरए पंजीकरण फॉर्म चुनें। ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें

↓

आगे बढ़ने के लिए शीर्षक बार में एफसी –3 मेनू चुनें पर क्लिक करें

↓

एसोसिएशन विवरण पर क्लिक करें और खोलें और सभी अनिवार्य विवरण दर्ज करें। डेटा सहेजने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें

↓

कार्यकारी समिति पर क्लिक करें और खोलें और सभी विवरण दर्ज करें। 'मुख्य कार्य के विवरण जोड़ें ' चुनें। कार्यकारी समिति के बारे में जानकारी का विवरण संपादित किए जा सकते हैं/हटाए जा सकते हैं/जोड़े जा सकते हैं।

↓

आगे ज्यादा विदेशी विवरण जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड का चेकबॉक्स चुनें (संगठन के अनुसार) एड/व्यु बटन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन दिखाई देगी, संबंधित विदेशी विवरण जोड़ें। उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करके यह रिकॉर्ड को संपादित किए जा सकते हैं/हटाए जा सकते हैं/जोड़े जा सकते हैं।

↓

ईसी के सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद सेव या सहेजें पर क्लिक करें

बैक विवरण

इस खंड में बैंक विवरणों को देना होगा जैसे बैंक का नाम, आईएफएसी कोड, खाता संख्या या खातेदार का नाम आदि

अन्य विवरण

इस खंड में अन्य जानकारियां देने के लिए जाएं।

दस्तावेज अपलोड करना

ंबंधित दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाएगाः
(क) संगठन के पंजीकरण प्रमाणपत्र/ट्रस्ट डीड आदि की स्व–प्रमाणित प्रति
(ख) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन /आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रासंगिक पन्नों की स्व–प्रमाणित प्रति जिसमें संगठन के उद्देश्य व लक्ष्य बताए गए होंगे।
(ग) मुख्य कार्यकारिणी के हस्ताक्षर की जेपीजी फाइल
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गतिविधियों का विवरण देती हुई गतिविधि रिपोर्ट
(च) पिछले तीन वर्षों के खातों के प्रासंगिक लेखापरीक्षा किए गए विवरण (परिसंपत्ति और देयताएं, रसीद और भुगतान, आय और व्यय) जो संगठन के उद्देश्य और वस्तुओं पर और प्रशासनिक व्यय पर उत्पन्न व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं
(छ) 5000/–रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किया जाना है

अंतिम रूप से जमा करना

ेनू बार से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। आपको आवेदन प्रपत्र की घोषणा करनी होगी स्थान और दिनांक पर क्लिक करें और फाइनल सबमिट पर क्लिक करें।

↓

जस ही आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो एक पॉप–अप विंडो दिखाई देगी, ओके पर क्लिक करें।

↓

फाइनल सबमिशन के बाद, आप आवेदन विवरण को बदल नहीं सकते।

ऑनलाइन भुगतान

बार से मेक ऑनलाइन पेमेंट बटन पर क्लिक करने के बाद, भुगतान स्क्रीन दिखाई देगी।

↓

इस स्क्रीन में कंटिन्यु फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करें, एक पॉप अप स्क्रीन आएगी।
भुगतान गेटवे का चयन करें और भुगतान पर क्लिक करें।

हालांकि, नए एफसीआरए ने पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता को 5 साल तक के लिए ही सीमित कर दिया है। एफसीआरए की धारा 16 का प्रावधान एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बने हुए नियमों के अनुसार प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले पंजीकरण के नवीनीकरण को बताता है। पदाधिकारियों/ पंजीकृत संगठन के प्रमुख अधिकारियों में बदलाव के लिए नई अधिसूचना जारी की गई है कि यदि वह बदलते हैं तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से गृह मंत्रालय से अनुमोदन लेना होगा।

एफसीआरए लागू होने के कारण विदेशी योगदान और विदेशी दाता समय के साथ परेशान हो रहे थे। विभिन्न माध्यमों से संगठन के लिए फंड जुटाना बेहद महत्वपूर्ण था। दर्पण एक ऐसा ही मंच है जो सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागिता को बढ़ाने और बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। स्वैच्छिक संगठन इस पोर्टल के माध्यम से सरकार से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही मोहिनी के लिए संगठन के लिए संसाधन जुटाने के अन्य तरीकों की तलाश करना आवश्यक हो गया था।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

संगठन की गतिविधियों के लिए ज्यादा पैसे लेने के लिए, मोहिनी ने वह रास्ता अपनाया जो उसने अभी तक नहीं अपनाया था। कॉर्पोरेट सेक्टर जो अपने सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत धन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उसे बस यह शोध करने की जरूरत थी कि वह संस्थान और कंपनियां कौन सी हैं जो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य का समर्थन करते हैं। उसने और नीरज ने इन कंपनियों से अपने संगठन को पैसा देने और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संपर्क करने में जरा भी देरी नहीं की। लेकिन कंपनियों के पास जाने से पहले निधि जुटाने के लिए खुद को तैयार करने के लिए उन्होंने सीएसआर और सातवीं अनुसूची के बारे में शोध किया और गतिविधियों की जानकारी जुटाई।

सीएसआर

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 135, एक्ट की अनुसूची सात और कंपनी सीएसआर नीति नियम 2014 वह दायरा बताते हैं जिनके भीतर पात्र कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियां बना सकती हैं, जिनमें की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं और उन्हें सही तरीके से लागू करना शामिल है।

सीएसआर प्रावधान किन कंपनियों पर लागू होते हैं?

कंपनी एक्ट 2013 के सीएसआर प्रावधान कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों और 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाली कंपनी पर, 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाली या 500 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी पर लागू होते हैं।

अनुसूची सात की गतिविधियाँ

वह गतिविधियाँ जो कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों की नीतियों में शामिल कर सकती हैं वह हैं::

(क) बचावात्मक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य की देखभाल, भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना।

(ख) शिक्षा को बढ़ावा देना खास तौर पर विशेष शिक्षा को और रोजगार बढ़ाने वाले कौशल की शिक्षा देना और वह भी विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को तथा जीवनयापन को बेहतर करने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देना।

(ग) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावासों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, दिन में देखभाल केन्द्र और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना

करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपायों पर काम करना। (घ) पर्यावरण स्थिरता, पर्यावरणीय संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशुओं की भलाई, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए व उनके कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ गंगा निधि में योगदान देना तथा मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनी रहे यह सुनिश्चित करना। (च) ऐतिहासिक महत्व के भवनों व स्थलों तथा कलाकृतियों के पुर्नरूद्धार के साथ साथ राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास करना (छ) सशस्त्र बलों के वयोवृद्धों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए करना (ज) ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैराओलम्पिक खेल और ओलम्पिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करवाना (झ) सामाजिक आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के राहत और कल्याण के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य निधि में योगदान करना (ट) वह वित तथा योगदान जो तकनीकी इन्क्युबेटर को प्रदान किया जाता है जो उन शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित होते हैं जिनका अनुमोदन केन्द्र सरकार ने किया होता है। (ठ) ग्रामीण विकास परियोजनाएँ और झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों का विकास। (ड) राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों के साथ आपदा प्रबंधन।
कौन सी गतिविधियाँ सीएसआर की गतिविधियों के रूप में नहीं देखी जाएंगी? • वह सीएसआर परियोजना जिससे कंपनी के मालिक और उनके परिवारों को फायदा होता। • एक बार में होने वाले आयोजन जैसे मैराथन /पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन /टीवी कार्यक्रम आदि। • किसी अन्य एक्ट/ नियमन की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा किए खर्च • किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान। • सामान्य व्यापारिक गतिविधियां। • भारत के बाहर की गई परियोजना या कार्यक्रम या गतिविधियाँ।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मोहिनी और नीरज ने अपने "साथी" नामक संगठन की स्थापना की। विकास के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वैच्छिक क्षेत्र को भी कुछ कानूनों का पालन करना पड़ता है। इन विनियामक कानूनों के अनुपालन से ही वीडीओ के बने रहने और उनके वैध बने रहने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही देश हित में यह काम करने के लिए प्रेरित करता है। विकास की प्रक्रिया में, सभी क्षेत्रों के बीच नेटवर्क, सहयोग और साझेदारी का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

(n.d.). Retrieved from Goods and Services Tax: https://www.gst.gov.in/

(n.d.). Retrieved from Employee's State Insurance Corporation: https://www.esic.nic.in/esi-acts

(n.d.). Retrieved from Employee's Provident Fund Organisation, India: https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php

FCRA Act. (n.d.). Retrieved from Ministry of Law and Justice, Government of India: https://fcraonline.nic.in/home/PDF_Doc/FC-RegulationAct-2010-C.pdf

FCRA FAQs. (n.d.). Retrieved from Ministry of Home Affairs, Government of India: https://mha.gov.in/PDF_Other/ForeigD-ForeigD-FCRA_FAQs.pdf

Lokpal and Lokayuktas Act. (n.d.). Retrieved from Ministry of Law and Justice: https://dopt.gov.in/sites/default/files/407_06_2013-AVD-IV-09012014_0.pdf

(n.d.). *Societies Registration Act 1860.* India: Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Societies Registration Act 1860. (n.d.). Retrieved from Ministry of Corporate Affairs, Government of India: http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Societies_Registration_Act_1860.pdf

स्वैच्छिक/वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी) के विषय में

वानी भारतीय स्वैच्छिक विकास संगठनों (वीडीओ) का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। वर्तमान में वानी के पूरे भारत में लगभग 10,000 वीडीओ के साथ 540 सदस्य हैं। वानी के साथ जमीन पर काम करने वालों से लेकर राष्ट्रीय संगठन सदस्य के रूप में साथ जुड़े है। वानी के सदस्य संगठन कई मुद्दों पर काम करते हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, एकीकृत बाल विकास, आजीविका, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारियां, कृषि, गरीबी सहित सरकार की प्राथमिकता वाले विकास के क्षेत्र तथा कुछ तो देश के कुछ सबसे दूरदराज इलाकों में भी काम करते हैं। वर्ष 2017–18 में, हमारा नेटवर्क सामूहिक रूप से 32 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचा जिनमें हर तरह के पिछड़े वर्ग सम्मिलित थे जैसे बच्चे, दिव्यांग, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, दलित, आदिवासी, आपदा से बचे, बेरोजगार, युवा, एलजीबीटी, यौनकर्मी आदि सम्मिलित थे। वानी को अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नागरिक समाज क्षेत्र का निर्माण करना है।

वानी स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए, मूल्य आधारित स्वैच्छिक कदमों को प्रोत्साहित करे के लिए उस क्षेत्र में एक जगह बनाने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। वानी जो भी कदम उठाता है वह बाहरी और आंतरिक सक्षम वातावरण को मजबूत करने के लिए केंद्रित हैं। बाहरी सक्षम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, वानी प्रमाणों के आधार पर सलाह देता है जिनमें नियमों से संबंधित रूपरेखा और संसाधन निर्माण शामिल है। इसे प्राप्त करने के लिए वानी सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य हितधारकों के साथ काम करता है। आंतरिक सक्षम वातावरण को और सुदृढ करने के लिए वानी लचीलापन बनाने और उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और अनुपालन को बातचीतपरक शैक्षिक घटनाओं और सूचना प्रसार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाता है। वानी प्रमाण आधारित शोध;राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अध्ययन, लेख और रिपोर्ट प्रकाशित कर एक वृहद संसाधन केंद्र बनने का प्रयास करता है।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

स्वैच्छिक/वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी)
वानी हाउस, 7 पीएसपी पॉकेट
सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली - 110 077
फोन 011-49148610, 40391661, 40391663
ईमेल: info@vaniindia.org वेबसाइट: www.vaniindia.org